Electoral Literacy : Stronger Democracy

No Voter to be Left Behind

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/School ELC MoU/ 2025/ 4342 जयपुर, दिनांकः 18.9.2025

प्रेषकः– मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषितिः– निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा – राजस्थान
बीकानेर।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी – जिला परिषद् एवं
पदेन जिला स्वीप नोडल अधिकारी
समस्त जिले, राजस्थान।

विषय : राज्य में SVEEP अन्तर्गत School ELCs के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :
1. इस कार्यालय के पत्रांक 158, दिनांक 09.01.2025 के अनुसार जारी School ELC SoP;
2. जिला, ब्लॉक एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व निर्धारण संबंधी पत्रांक 1201, दिनांक 10.03.2025;
3. शिविरा कलैण्डर 2025–26 में समाहित School ELC गतिविधियों के संपादन संबंधी परिपत्र क्रमांक 3104 दिनांक 07.07.2025;
4. School ELC MoU संबंधी परिपत्र क्रमांक 3906 दिनांक 25.08.2025;
5. निदेशालय – माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर के पत्र क्रमांक – शिविरा–माध्य/ मा – स/ ईएलसी (90)/2025/RajKaj Ref No.: 17457314, दिनांक 29.08.2025 के अनुसार जारी विस्तृत दिशा–निर्देश।
6. School ELC शाला दर्पण ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, दिनांक 17.09.2025 एवं उक्त दिनांक की जिला/ संबंधित विधानसभा क्षेत्र की राजकीय एवं निजी विद्यालयों की वस्तुस्थिति (In Soft Copy i.e. Excel Format)।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित School ELC MoU/ SoP/ परिपत्र/ पत्र/शाला दर्पण मॉनिटरिंग रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 के अनुक्रम में लेख है कि राज्य के समस्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विद्यालयों में स्कूल मतदाता साक्षरता क्लब (ईएलसी) गतिविधियों के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करावें –

1. School ELCs सुदृढ़ीकरण के अपेक्षित मूलभूत लक्ष्य यथा Nomination of School ELC Head, Constitution of School ELC-EC, School ELC Updated Record Keeping इत्यादि की फील्ड स्तर पर प्राप्ति दिनांक 30.09.2025 तक अनिवार्यतः सुनिश्चित करावें।
2. School ELC गतिविधियों के संबंध में विहित प्रक्रिया एवं निर्धारित दिशा निर्देशानुसार उक्त गतिविधियों का वर्तमान सत्र 2025–26 में अपने परिक्षेत्र में सफल एवं समयबद्ध संपादन सुनिश्चित करावें, ताकि राज्य में नैतिक मतदान के प्रति जागरूक भावी मतदाता तैयार किए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके।
3. पुनः उल्लेखनीय है कि School ELCs सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक 1201, दिनांक 10.03.2025 के अनुसार शिक्षा विभाग एवं निर्वाचन विभाग दोनों के जिला, ब्लॉक एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों एवं कार्मिकों के कार्य एवं दायित्व पूर्व में ही निर्धारित किये गए हैं। दोनों विभागों के उक्त अधिकारियों के शालादर्पण लॉग–इन में सत्र 2025–26 की जिला > ब्लॉक > पंचायत/शहरी क्लस्टर > विद्यालयवार ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट उपलब्ध करा दी गई है। अतः इस पत्र के साथ संलग्न शालादर्पण School ELC ऑनलाइन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, दिनांक 17.09.2025 का सुलभ सन्दर्भ लेवें और आपके परिक्षेत्र के प्रत्येक राजकीय एवं निजी विद्यालय की जिलेवार/विधानसभा क्षेत्र वार वस्तुस्थिति का विद्यालय वार विश्लेषण कर समस्त सम्बंधित सम्बंधित अधीनस्थ अधिकारियों/ कार्मिकों को निर्देशित कराते हुए एवं विशेषतः निजी विद्यालयों के लिए ब्लॉक एवं जिलेवार विशेष कार्ययोजना निर्मित कर School ELCs सुदृढ़ीकरण के अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति मासिक आधार पर अनिवार्यतः सुनिश्चित करावें।
4. अधीनस्थ विद्यालयों द्वारा शालादर्पण/प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर उपलब्ध 'School ELC Online Entry Module' में School ELC Nodal, ELC-Executive Committee & Monthly School ELC Activities की समस्त अद्यतन एवं प्रामाणिक प्रविष्टियां निर्धारित समयावधि में दर्ज किया जाना सुनिश्चित करावें। राज्य कार्यालय द्वारा उक्त ऑनलाइन सूचना को ही अद्यतन प्रगति माना जावेगा। समस्त आवश्यक School ELC संदर्भ सामग्री एवं आदेश निर्वाचन विभाग– राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

CEO - RJ SVEEP - School ELC Repository Link:
https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx

5. School ELC Activities e.g. Electoral Literacy Videos, Story Scrolls इत्यादि को मनोरंजक बनाने एवं Audio-Visual Mode के माध्यम से अधिकतम परिणाम की प्राप्ति हेतु विद्यालयों में संस्थापित Smart Classes/ Interactive Screens का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जावे।
6. समुदाय में मतदाता जागरूकता उद्देश्य प्राप्ति हेतु सम्पादित ईएलसी गतिविधि के High Quality Photograph, Short Videos/ Reels को स्वयं एवं अधीनस्थ कार्यालय/ विद्यालय के सोशल मीडिया हैंडल पर Share करावें। क्रमशः अधीनस्थ अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा ECI एवं CEO-Rajasthan के X (Formerly Twitter), Instagram, Facebook, Youtube Social Media Handles को regular updates की प्राप्ति हेतु follow कराना सुनिश्चित करावें।
7. समस्त ईएलसी गतिविधियां पूर्णतः गैर राजनीतिक एवं निष्पक्ष रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. संदर्भित School ELC MoU/ SoP/ पत्र / परिपत्र का फील्ड स्तर पर व्यापक प्रचार – प्रसार किया जावे एवं क्रमशः School ELC सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया/ प्रावधानों की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जावे।
9. जिला/ब्लॉक स्तर पर जिला कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली 'मासिक जिला/ब्लॉक निष्पादक बैठक' में 'School ELC की प्रगति' को अनिवार्यतः ऐजेंडा रखते हुए समीक्षा की जावे और अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जावे।

इस संबंध में फील्ड स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी कर प्रति इस कार्यालय को भी अग्रेषित करावें।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
17/9.
(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा/School ELC MoU/ 2025/ 4349 जयपुर, दिनांकः 18.9.2025

प्रतिलिपिः सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक – समग्र शिक्षा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
5. स्वीप प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन विभाग – जयपुर।
6. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी–IT, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
(उक्त पत्र/परिपत्र को विभागीय वेबसाइट की स्वीप – ईएलसी रिपॉजिटरी में अपलोड कराने हेतु)।
7. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधिकार क्षेत्र के समस्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय एवं विशेषतः निजी विद्यालयों में SVEEP अन्तर्गत School ELCs के सुदृढ़ीकरण हेतु पूर्व में निर्धारित School ELC SoP एवं क्रमिक आदेशों की फील्ड स्तर पर निहित भावना अनुरूप अनुपालना सुनिश्चित कराते हुए नियमित ऑनलाइन एवं सघन भौतिक पर्यवेक्षण के माध्यम से School ELCs सुदृढ़ीकरण के अपेक्षित लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करावें।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी,समस्त जिले।
9. जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर, समस्त जिले।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समस्त।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. संस्थाप्रधान/स्कूल ईएलसी प्रभारी, राजकीय एवं निजी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय, समस्त।
13. BLO/ Supervisor, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

LETTER NO. 4342, DATED 18.09.2025

IMPORTANT POINTS, REGARDING COMPLIANCE OF SCHOOL ELC MOU & ELC ACTIVITIES AS PER SHIVIRA

1. उक्त पत्र के साथ राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी मावि/उमावि की स्कूल ईएलसी की दिनांक 17.09.2025 की शालादर्पण मॉनिटरिंग रिपोर्ट के अनुसार जिला/विधानसभा क्षेत्र/विद्यालयवार सम्पूर्ण वस्तुस्थिति यथा केवल ईएलसी हैड़ नामित करना, ईएलसी – ईसी निर्वाचित/गठित करना, शिविरा अनुसार मासिक ईएलसी गतिविधि सम्पादित करना; उक्त समस्त की स्कूल ईएलसी ऑनलाईन एन्ट्री मॉड्यूल में नियमित प्रविष्टि एवं अद्यतनीकरण करना इत्यादि की सूचना आपको एक्सल शीट में उपलब्ध करवाई जा रही है।

2. जिन विद्यालयों द्वारा उक्त सूचनाएं अद्यतन नहीं की गई हैं, उन विद्यालयों का चिह्नीकरण कर लेवें। क्रमशः निर्वाचन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग – राजस्थान द्वारा निष्पादित स्कूल ईएलसी एमओयू तथा शिक्षा विभाग के आधिकारिक शिविरा कलेंडर 2025–26 में निर्धारित ईएलसी गतिविधियों के अनुक्रम में उक्त विद्यालयों का नियमित गहन पर्यवेक्षण किया जावे तथा उक्त विद्यालयों में यथा आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाते हुए स्कूल ईएलसी सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जावे।

3. 'स्कूल ईएलसी की सूचना ऑनलाईन दर्ज नहीं करने वाले विद्यालय' संलग्न एक्सल शीट में उल्लेखित 'समस्त प्रविष्टियां नियमित रूप से सुनिश्चित करने वाले विद्यालयों' से आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

4. इस पत्र के साथ संलग्न 'निजी विद्यालयों की एक्सल शीट में क्रम संख्या 1 से 441 पर उल्लेखित विद्यालयों' द्वारा उनकी विद्यालय प्रोफाइल अपडेट नहीं करने के कारण उक्त विद्यालय की मूलभूत जानकारी यथा – जिला/ब्लॉक का नाम इत्यादि उपलब्ध नहीं है। अतः आपके अधीनस्थ उक्त विद्यालयों का चिह्नीकरण कर लेवें और उक्त विद्यालयों को स्कूल ईएलसी की सूचना ऑनलाईन दर्ज करने के साथ ही विद्यालय प्रोफाइल अपडेट कराना सुनिश्चित करावें ताकि आगामी रिपोर्ट सही प्रदर्शित/उपलब्ध हो सके।

5. उक्त सूचना को दिनांक 16.09.2025 को निर्वाचन विभाग द्वारा जिला स्वीप कॉर्डिनेटर के साथ आयोजित गूगल मीट में प्रदत्त निर्देशानुसार आगामी 'एनवीडी पुरस्कार के लिए जिला/ब्लॉक स्तरीय राजकीय/निजी मॉडल ईएलसी के चिह्नीकरण' हेतु प्रारम्भिक तैयारी के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है।

6. उक्त पत्र के बिन्दु संख्या 6 के अनुक्रम में भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी – राजस्थान के सोशल मीडिया हैंडल्स की सूचना आपके सुलभ संदर्भ हेतु निम्नानुसार है–

Social Media Handles Links-

Social Media Handle	Chief Electoral Officer - Rajasthan	Election Commission of India
X (Formerly Twitter)	https://x.com/ceorajasthan	https://x.com/ecisveep
Instagram	https://www.instagram.com/ceo_rajasthan	https://www.instagram.com/ecisveep
Facebook	https://www.facebook.com/ceorajasthan	https://www.facebook.com/ECI

SCHOOL ELC (DISTRICT WISE STATUS REPORT) : SHALA DARPAN MONITORING REPORT' : DATED 17.09.2025 AN

क्र.सं./ State Ranking	जिला	मावि/उमावि विद्यालयों की संख्या			नामित ELC हेड/प्रभारी की संख्या			गठित ELC-EC की संख्या			माह/सत्र में सम्पादित ELC गतिविधियों की संख्या			निर्वाचन के प्रति जागरूक किये गए वर्तमान/भावी वोटर संभागियों की संख्या			ELC-EC Constitution % (Descending Order)		
		राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या	राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या	राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या	राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या	राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या	राजकीय वि.	प्राइवेट वि.	कुल संख्या
1	RAJSAMAND	434	133	567	420	110	530	375	83	458	849	16	865	79629	1902	81531	86.41	62.41	80.78
2	DUNGARPUR	499	120	619	463	61	524	435	51	486	874	5	879	101848	130	101978	87.17	42.50	78.51
3	SALUMBAR	211	42	253	191	12	203	183	6	189	345	2	347	41557	333	41890	86.73	14.29	74.70
4	PRATAPGARH	299	85	384	275	38	313	259	13	272	395	0	395	32073	0	32073	86.62	15.29	70.83
5	PALI	481	282	763	451	159	610	418	114	532	422	3	425	34306	174	34480	86.90	40.43	69.72
6	BEAWAR	332	179	511	288	67	355	277	52	329	194	0	194	20330	0	20330	83.43	29.05	64.38
7	DEEG	294	212	506	279	89	368	260	63	323	402	0	402	31210	0	31210	88.44	29.72	63.83
8	DAUSA	489	513	1002	459	232	691	421	203	624	803	31	834	67960	1160	69120	86.09	39.57	62.28
9	JHALAWAR	352	164	516	326	43	369	303	5	308	102	0	102	10795	0	10795	86.08	3.05	59.69
10	AJMER	544	413	957	477	122	599	461	100	561	474	0	474	54447	0	54447	84.74	24.21	58.62
11	PHALODI	303	147	450	258	64	322	231	27	258	277	2	279	21490	195	21685	76.24	18.37	57.33
12	BARMER	716	173	889	498	45	543	472	34	506	29	0	29	1814	0	1814	65.92	19.65	56.92
13	CHITTAURGARH	481	200	681	397	27	424	376	11	387	418	1	419	32448	25	32473	78.17	5.50	56.83
14	UDAIPUR	739	291	1030	584	78	662	553	2	555	236	0	236	16818	0	16818	74.83	0.69	53.88
15	BALOTARA	474	114	588	321	33	354	282	31	313	407	18	425	36980	5126	42106	59.49	27.19	53.23
16	JAISALMER	310	79	389	217	13	230	195	9	204	217	3	220	15574	119	15693	62.90	11.39	52.44
17	BHILWARA	695	215	910	470	16	486	445	13	458	159	0	159	17443	0	17443	64.03	6.05	50.33
18	BANSWARA	547	188	735	378	3	381	360	2	362	203	1	204	25080	55	25135	65.81	1.06	49.25
19	KARAULI	416	381	797	366	61	427	330	52	382	114	0	114	7614	0	7614	79.33	13.65	47.93
20	BHARATPUR	409	460	869	358	172	530	328	85	413	266	6	272	23225	296	23521	80.20	18.48	47.53
21	BUNDI	309	217	526	254	23	277	231	5	236	442	0	442	39602	0	39602	74.76	2.30	44.87
22	GANGANAGAR	582	504	1086	491	40	531	469	4	473	311	0	311	22171	0	22171	80.58	0.79	43.55
23	TONK	401	311	712	325	39	364	299	11	310	27	0	27	2108	0	2108	74.56	3.54	43.54
24	S.MADHOPUR	366	414	780	337	25	362	312	7	319	179	1	180	15434	29	15463	85.25	1.69	40.90
25	DHAULPUR	347	270	617	264	10	274	243	6	249	119	0	119	11473	0	11473	70.03	2.22	40.36
26	KHAIRTHAL-TIJARA	296	288	584	223	31	254	205	19	224	213	1	214	17644	65	17709	69.26	6.60	38.36
27	BIKANER	725	517	1242	511	49	560	444	22	466	43	0	43	3640	0	3640	61.24	4.26	37.52
28	KOTPUTLI-BEHROR	329	479	808	260	62	322	242	43	285	285	6	291	18800	272	19072	73.56	8.98	35.27
29	BARAN	349	250	599	209	2	211	187	1	188	86	0	86	5183	0	5183	53.58	0.40	31.39
30	SIKAR	807	1006	1813	534	109	643	489	72	561	376	0	376	28392	0	28392	60.59	7.16	30.94
31	ALWAR	572	610	1182	395	29	424	340	6	346	277	0	277	23027	0	23027	59.44	0.98	29.27
32	CHURU	669	642	1311	362	49	411	331	28	359	478	0	478	37632	0	37632	49.48	4.36	27.38
33	SIROHI	297	105	402	116	1	117	108	0	108	54	0	54	5520	0	5520	36.36	0.00	26.87
34	NAGAUR	495	413	908	241	29	270	220	16	236	154	2	156	10484	95	10579	44.44	3.87	25.99
35	HANUMANGARH	505	557	1062	265	55	320	254	7	261	67	0	67	5898	0	5898	50.30	1.26	24.58
36	KOTA	353	546	899	194	10	204	178	0	178	89	0	89	6619	0	6619	50.42	0.00	19.80
37	JALOR	553	293	846	178	8	186	163	3	166	118	0	118	11469	0	11469	29.48	1.02	19.62
38	DIDWANA-KUCHAMAN	516	484	1000	215	27	242	178	17	195	106	0	106	8324	0	8324	34.50	3.51	19.50
39	JHUNJHUNUN	618	822	1440	212	23	235	185	10	195	79	0	79	4769	0	4769	29.94	1.22	13.54
40	JODHPUR	769	849	1618	171	32	203	131	19	150	78	0	78	5486	0	5486	17.04	2.24	9.27
41	JAIPUR	1066	2634	3700	294	9	303	248	1	249	218	0	218	16998	0	16998	23.26	0.04	6.73
	Total	19949	16597	36546	13106	2012	15118	12051	1206	13257	10057	94	10151	902937	9794	912731	60.41	7.27	36.27

Electoral Literacy : Stronger Democracy

No Voter to be Left Behind

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा./2024-25/Pt.III/3104 जयपुर, दिनांकः 07/7/25

परिपत्र – स्कूल ई.एल.सी. 2025–26

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में राज्य के समस्त माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विद्यालयों में स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के सुदृढ़ीकरण एवं सफल संचालन हेतु तथा अध्ययनरत भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता का प्रभावी उद्बोधन किये जाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग – निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा के पत्र क्रमांक शिविरा–मा./माध्य./नि. प्र./22418/शिविरा पंचांग/2025–26–35563, दिनांक 28.06.2025 के अनुसार जारी शिविरा कैलेंडर 2025–26 के पृष्ठ संख्या 12–13 पर उल्लेखित स्कूल ईएलसी गतिविधियों के फील्ड स्तर पर सफल, सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध सम्पादन तथा ब्लॉक/ जिला एवं राज्य स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश इस परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट – अ' के अनुसार अग्रिम आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु जारी किये जाते हैं।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(नवीन महाजन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा./2024-25/Pt.III/3104 जयपुर, दिनांक : 07/7/25

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम/ अनुपालनात्मक कार्यवाही हेतु–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. स्वीप प्रभारी अधिकारी, निर्वाचन विभाग – जयपुर।
5. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी – IT, निर्वाचन विभाग, जयपुर।
   (उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट की स्वीप – ईएलसी रिपॉजिटरी में अपलोड कराने हेतु)।
6. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), समस्त जिले, राजस्थान।
7. जिला स्वीप नोडल अधिकारी (CEO-ZP), समस्त जिले, राजस्थान।
8. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त जिले।
9. जिला स्वीप कोऑर्डिनेटर, , समस्त जिले।
10. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समस्त।
11. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन ब्लॉक स्कूल ईएलसी नोडल अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
12. संस्थाप्रधान/ स्कूल ईएलसी प्रभारी, राजकीय एवं निजी माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक विद्यालय, समस्त।
13. BLO/ Supervisor, समस्त।
14. रक्षित पत्रावली

संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा. / माध्य / नि.प्र. / 22418 / शिविरा पंचांग / 2025—26—35563 **दिनांक** : यथा हस्ताक्षर

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।

विषय : शिविरा पंचांग वर्ष 2025—2026।
प्रसंग : शासन का पत्र क्रमांक : F.33(1)Edu-1/2023-07401 जयपुर दिनांक : 20.06.25.

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक शासकीय स्वीकृति के क्रम में शिविरा पंचांग सत्र 2025—26 (अवधि 01 जुलाई, 2025 से 30 जून,2026 तक) का शिविरा पंचांग मय निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त पंचांग के अनुरूप क्षेत्राधिकार में विद्यालय संचालन / विभागीय कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का आयोजन / क्रियान्वयन सुनिश्चित करावें।

आगामी शैक्षणिक सत्र 2025—26 का सत्रारंभ दिनांक : 01 जुलाई, 2025 से 30 जून, 2026 तक रहेगा। दिनांक : 01 जुलाई, 2025 से शिक्षण कार्य एवं विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति प्रारम्भ होगी।

संलग्न : यथोपरि।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—मा. / माध्य / नि.प्र. / 22418 / शिविरा पंचांग / 2025—26—35563 **दिनांक** : यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज (प्राम्भिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् उदयपुर।
6. शासन उप सचिव—प्रथम, शिक्षा (ग्रुप—1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. अध्यक्ष, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अजमेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
9. अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
10. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा, ।
13. प्राचार्य, सादुल स्पोर्टर्स स्कूल बीकानेर।
14. समस्त मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा।
15. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
16. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा ।
17. समस्त पीईईओ / यूसीईईओ को पालनार्थ।
18. रक्षित पत्रावली।

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.06.28 17:58:18 IST
Reason: Approved

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref No.: 16124270

परिशिष्ट - 'अ'

शिविरा अनुरूप सत्र 2025-26 में स्कूल ई.एल.सी. गतिविधि संचालन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश

1. शैक्षणिक सत्र **2025–26** में इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 158, दिनांक 09.01.2025 के अनुसार राज्य में जारी **School ELC SoP में विहित प्रक्रिया तथा पूर्व पत्रांक 1201, दिनांक 10.03.2025 के अनुसार निर्वाचन विभाग एवं शिक्षा विभाग के जिला/ ब्लॉक एवं फील्ड स्तरीय अधिकारियों/ कार्मिकों के निर्धारित कर्तव्य एवं दायित्व के अनुरूप स्कूल ई.एल.सी. गतिविधियों का सुव्यवस्थित संचालन निर्धारित समयावधि में** सुनिश्चित किया जावे।
2. राज्य के माध्यमिक/ उच्च माध्यमिक समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों में से 1 चेयरमैन, 1 वाईस चेयरमैन एवं सदस्य (अधिकतम संख्या – 18/ कुल संख्या – 20) निर्वाचित/ नामित करते हुए स्कूल मतदाता साक्षरता क्लब– कार्यकारी समिति (ईएलसी–ईसी) गठित किया जाना अविलम्ब/ तात्कालिक प्रभाव से सुनिश्चित करें। विद्यालय की **ELC - Executive Committee** में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग विद्यार्थी (उपलब्धता की स्थिति में) को अनिवार्यतः शामिल किया जाना है। उक्त विद्यार्थी को भारत निर्वाचन आयोग एवं निर्वाचन विभाग – राजस्थान द्वारा उपलब्ध समस्त सुविधाओं के बारे में आवश्यक रूप से जागरूक किया जाना है।
3. **समस्त विद्यालयों में संस्था प्रधान ELC हैड/ प्रभारी नामित करते हुए विद्यालय स्तर पर ELC Register एवं ELC File संधारित किया जाना सुनिश्चित करें।**
4. समस्त संस्था प्रधान ELC Head के स्थानांतरण, ELC-EC में नामित विद्यार्थी के अन्यत्र प्रवेश/कक्षा क्रमोन्नति इत्यादि समस्त संभावित परिदृश्य में ELC Head/ ELC-EC के चेयरमैन, वाईस चेयरमैन एवं सदस्यों की सूचना शाला दर्पण/ प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अद्यतन रखें।
5. संस्था प्रधान एवं नामित School ELC Head विद्यालय की निर्वाचित/ गठित ELC-EC के साथ विभागीय आदेश/ शिविरा अनुसार निर्धारित ELC गतिविधि कैलेंडर साझा करते हुए आपसी समन्वयन में वार्षिक/ मासिक कार्ययोजना बनाएँगे। क्रमशः तदनुरूप School ELC Head के पर्यवेक्षण में ELC-EC के सहयोग से भावी मतदाता भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित कक्षावार सन्दर्भ निर्देशिका (Resource Guide) एवं Online SVEEP/ ELC Repository पर उपलब्ध सामग्री यथा–Guidelines, Videos, Story Scrolls, Games इत्यादि की सहायता से निर्धारित नवाचारी मासिक School ELC गतिविधि आयोजित/ सम्पादित करेंगे।

   SVEEP - ELC Repository Link - https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx
6. विद्यालय स्तर पर सम्पादिक मासिक गतिविधियाँ वोटर/ निर्वाचन जागरूकता के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा सोशल मीडिया हैंडल्स [व्हाट्सप्प ग्रुप/ X (Formerly Twitter) Facebook/ Instagram इत्यादि] पर फोटो/ वीडियो/ रील के रूप में शेयर की जानी हैं।
7. **School ELC हैड, ईएलसी–ईसी, सम्पादित School ELC मासिक गतिविधि इत्यादि की सूचना राजकीय एवं निजी विद्यालयों के लिए विकसित शाला दर्पण पोर्टल – *School ELC* टैब पर उपलब्ध एंट्री मॉड्यूल' में प्रविष्ट किया जाना सुनिश्चित करें।** उच्चतर कार्यालयों द्वारा विद्यालय की ऑनलाइन सूचना को ही अद्यतन एवं प्रामाणिक माना जाएगा।
8. BLO/ Supervisor विद्यालय के ELC Head से समन्वय स्थापित कर 'कोई मतदाता ना छूटे' के उद्देश्य से प्रत्येक अर्हता दिनांक को 17+/ 18+ आयु वाले विद्यार्थियों का ऑनलाइन/ ऑफलाइन अग्रिम मतदाता पंजीकरण अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। क्रमशः यथा आवश्यकता विद्यालय में ELC गतिविधियों के सम्पादन हेतु आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएंगे।
9. दोनों विभागों के फील्ड, ब्लॉक एवं जिला स्तरीय समस्त अधिकारी बिंदु संख्या 1 में वर्णित मानक संचालन प्रक्रिया एवं निर्धारित कर्तव्य – दायित्व सम्बन्धी पत्र के अनुरूप स्कूल ईएलसी गतिविधियों का सफल सम्पादन एवं तदनुसार प्रभावी पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराएंगे।
10. पुनः उल्लेखनीय है कि प्रत्येक वर्ष **राष्ट्रीय मतदाता दिवस** (25 जनवरी) के अवसर पर जिला / ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले सम्मान समारोह में राजकीय विद्यालयों एवं निजी विद्यालयों के लिए पृथक– पृथक रूप से चिह्नित **वर्ष पर्यन्त सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाली Model/ Lead School ELC** के संस्था प्रधान एवं ELC Head को क्रमशः सम्बंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO-Cum-Collector)/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO-Cum-SDM) द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
11. आगामी वर्ष – 2026 से राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी – राजस्थान द्वारा प्रदान किये जाने वाले राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए स्कूल **ELC** की प्रगति को भी मानक रखा गया है।

14. **भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा वार निर्धारित स्कूल निर्वाचन क्लब ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा निर्देशानुसार निम्नांकित गतिविधियों का संचालन किया जाना है:'**

क.सं	गतिविधि का नाम	समय–सीमा
01	कक्षा 11 व 12 हेतु लोकसभा 2019 फिल्म प्रदर्शन, कक्षा 9 हेतु जागरूक मतदाता कार्ड खेल	जुलाई 2025
02	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु मतदाता शपथ **(भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ हिन्दी/अंग्रेजी)** तथा निर्वाचित फिल्म प्रदर्शन, कक्षा–11 हेतु जनता के प्रतिनिधि बने –कार्ड का खेल व आदर्श मतदान	15 अगस्त 2025 (स्वतत्रता दिवस)
03	कक्षा 9,10, 11 व 12 हेतु निबंध प्रतियोगिता **(शीर्षक देश में मतदाता साक्षरता और जागरूकता क्यों जरूरी है)**	08 सितम्बर 2025 (विश्व साक्षरता दिवस)
04	कक्षा 10 हेतु नोटा/मतदाता पंजिकरण, कक्षा 11 हेतु, चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण, कक्षा 12 हेतु अपने उम्मीदवार को जाने	सितम्बर 2025
05	कक्षा–10 हेतु स्टेप अप व कक्षा –12 हेतु फॉर्म –6 भरना और पंजीकृत होना	अक्टूबर 2025
06	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेत विद्यार्थियां को प्रार्थना समय में उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार एंव नैतिक मतदान के बारे में जागरूक करना	26 नवम्बर 2025 (राष्ट्रीय संविधान दिवस)
07	कक्षा 9 हेतु ग्राम पंचायत की यात्रा एव कक्षा 12 हेतु शब्दों के खेल	नवम्बर [illegible]

Signature valid
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.06.28 17:58:17 IST
Reason: Approved

08	कक्षा –9, 10, 11 व 12 हेतु भाषण प्रतियोगिता **(शीर्षक वोट का अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व)**	10 दिसम्बर 2025 (अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस)
09	कक्षा 9 व 10 हेतु विद्यालय में नाटक/चित्र, पोस्टर और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता, कक्षा 11 व 12 हेतु वाद–विवाद प्रतियोगिता/निबंध लेखन प्रतियोगिता, कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु मतदाता जागरूकता के संबध में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	25 जनवरी 2026 (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)
10	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु मतदाता शपथ **(भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ हिन्दी/अंग्रेजी)**	26 जनवरी 2026 (गणतंत्र दिवस)
11	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु पाती मां और पिता के नाम	14 फरवरी 2026 (मातृ पितृ दिवस)
12	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु स्कूल ELC लोकतंत्र की दीवार गतिविधि	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि
13	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु पुस्तकालय में Reading period के दौरान Election Corner में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता संबंधी संदर्भो का पठन एवं वाचन	सत्र/वर्ष पर्यन्त चलने वाली गतिविधि
14	कक्षा 9, 10, 11 व 12 हेतु 1. मतदाता जागरूकता संबंधी नाटक मंचन अथवा कविता पाठन/गीत 2. मतदाता शपथ(हिन्दी/अंग्रेजी) **(भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ हिन्दी/अंग्रेजी)**	वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह, पूर्व विद्यार्थी सम्मेलन, विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक, बालसभा, नो बैग डे, एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसर

नोट–उक्त स्कूल ELC गतिविधियों के अधिकतम परिणाम की सुनिश्चितता हेतु [illegible] विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) बैठक, अभिभावक–शिक्षक बैठक[illegible] बालसभा, नो बैग डे (No Bag Day)एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अव[illegible] साथ आयोजित किया जावे।

————————""————————

परिशिष्ट - 'अ'

स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब गतिविधि कलेंडर (शिविरा सत्र : जुलाई, 2025 - जून, 2026)						
क्रम सं.	**माह**	**दिनांक**	**महत्वपूर्ण दिवस/कार्यक्रम**	**कक्षा**	**गतिविधि विवरण**	**सन्दर्भ / विशेषविवरण**
1	**जुलाई**	*	*	11 & 12	लोकसभा - 2019 फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	9	जागरूक मतदाता - कार्ड खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
2	**अगस्त**	**15.08. 2025**	स्वतंत्रता दिवस	9, 10, 11 & 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी/ English)
		*	*	9, 10, 11 & 12	निर्वाचित्र - फिल्म प्रदर्शन	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 9, 10, 11 एवं 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	11	जनता के प्रतिनिधि बनें - कार्ड का खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	11	आदर्श मतदान	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
3	**सितम्बर**	**08.09. 2025**	विश्व साक्षरतादिवस	9, 10, 11 & 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता - (शीर्षक -**देश में मतदाता साक्षरता और जागरूकता क्योंजरूरी है?**)	निर्वाचन/ शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार
		*	*	10	नोटा	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	10	मतदाता पंजीकरण - गतिविधि	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	11	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	12	अपने उम्मीदवार को जानें	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
4	**अक्टूबर**	*	*	10	स्टेप अप	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	12	फॉर्म - 6 भरना और पंजीकृत होना	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार

5	**नवम्बर**	*	*	9	ग्राम पंचायत की यात्रा	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 9 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		*	*	12	शब्दों के खेल	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
		26.11. 2025	राष्ट्रीय संविधान दिवस	9, 10, 11 & 12	विद्यार्थियोंको प्रार्थना समय में उनके वोट देने के संवैधानिक अधिकार एवं नैतिक मतदान केबारे में जागरूक करना	निर्वाचन/शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार
6	**दिसम्बर**	**10.12. 2025**	अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस	9, 10, 11 & 12	भाषणप्रतियोगिता (शीर्षक - वोट का अधिकार एवं नैतिक मतदान का महत्व)	निर्वाचन/शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार
7	**जनवरी**	**25.01. 2026**	**राष्ट्रीय मतदाता दिवस** (निर्वाचन/ शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी विस्तृत दिशा - निर्देश/ पत्र अनुसार)	9 & 10	विद्यालयमें नाटक	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 9 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
				9 & 10	चित्र, पोस्टर और रंगोली बनाने की प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 10 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
				11 & 12	वाद - विवाद प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 11 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
				11 & 12	निबंध लेखन प्रतियोगिता	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार
				9, 10, 11 & 12	मतदाता जागरूकता के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता	निर्वाचन/शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार
		26.01. 2026	गणतंत्र दिवस	9, 10, 11 & 12	मतदाता शपथ	भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी/ English)
8	**फरबरी**	**14.02. 2026**	मातृ - पितृ पूजन दिवस	9, 10, 11 & 12	पाती मां और पिता के नाम	निर्वाचन/ शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार
9	**मार्च**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	कोई गतिविधि नहीं	बोर्ड परीक्षा के कारण
10	**अप्रैल**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	कोई गतिविधि नहीं	बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षा के कारण
11	**मई**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	कोई गतिविधि नहीं	बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षा, वार्षिक परीक्षा परिणाम एवं ग्रीष्मावकाश के कारण
12	**जून**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	कोई गतिविधि नहीं	ग्रीष्मावकाश के कारण

<table>
<tr><td>सत्र/ वर्ष पर्यंतचलने वाली गतिविधि</td><td>9, 10, 11 & 12</td><td>स्कूल ELC – लोकतंत्र की दीवार गतिविधि</td><td>भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कक्षा - 9, 10, 11 एवं 12 की निर्धारित ELC मार्गदर्शिका में उल्लेखित दिशा - निर्देशानुसार</td></tr>
<tr><td>सत्र/ वर्ष पर्यंतचलने वाली गतिविधि</td><td>9, 10, 11 & 12</td><td>पुस्तकालय में Reading period के दौरान Election Corner में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता संबंधी सन्दर्भों का पठन एवं वाचन</td><td>निर्वाचन/शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार</td></tr>
<tr><td rowspan="2">वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह ,
पूर्व विद्यार्थी सम्मलेन,
विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति बैठक,
अभिभावक - शिक्षक बैठक,
बालसभा, नो बैग डे एवं अन्य
सामुदायिक सहभागिता वाले अवसर</td><td rowspan="2">9, 10, 11 & 12</td><td>1. मतदाता जागरूकता संबंधी नाटक मंचन अथवा कविता पाठन / गीत</td><td>1. निर्वाचन/ शिक्षा विभाग द्वारा यथासमय जारी निर्देश/ पत्र अनुसार</td></tr>
<tr><td>2. मतदाता शपथ (हिन्दी/ English)</td><td>2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मतदाता शपथ (हिन्दी/ English)</td></tr>
<tr><td>*नोट:</td><td colspan="3">*चिह्नित गतिविधियों के आयोजन की दिनांक एवं दिवस स्कूल शिक्षा विभाग/ स्थानीय विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र में उक्त माह की निर्धारित अन्य शैक्षणिक, सह - शैक्षणिक गतिविधियों, अवकाश, दिवाली/ शीतकालीन अवकाश इत्यादि को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित किये जावें ; क्रमशः उक्त स्कूल ELC गतिविधियों के अधिकतम परिणाम की सुनिश्चितता हेतु यथासंभव विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति (SDMC) बैठक, अभिभावक - शिक्षक बैठक (PTM), बालसभा, नो बैग डे एवं अन्य सामुदायिक सहभागिता वाले अवसरों के साथ आयोजित किये जाने को प्राथमिकता दी जावे |</td></tr>
</table>

Electoral Literacy Clubs (ELC) Activities*, as prescribed (Class wise) by Election Commission of India

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	60 minutes class discussion on layout
April	Nirvachitra-Film Show	45 minutes
May	Card Game on Voting	45 minutes
November	Visit to Gram Panchayat	Half Day for Field Visit 45 minutes for post visit activity (same day or next day)
December	School Play	**Preparation** 30 minutes class discussion and practice (Performance in School Annual Day or National Voters' Day)
Total		3 hours approx (plus field visit)

9th ELC Guide (English Version) - See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा
अप्रैल	निर्वाचित्र–फिल्म शो	45 मिनट
मई	जागरूक मतदाता–कार्ड खेल	45 मिनट
नवम्बर	ग्राम पंचायत की यात्रा	क्षेत्र-भ्रमण के लिए आधा दिन। भ्रमण के बाद की गतिविधि के लिए 45 मिनट (उसी दिन या दूसरे दिन)
दिसम्बर	विद्यालय में नाटक	**तैयारी** 30 मिनट कक्षा में चर्चा व अभ्यास (विद्यालय के वार्षिकोत्सव में या राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रस्तुतीकरण)
कुल		लगभग 3 घंटे 45 मिनट + क्षेत्र-भ्रमण

9th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 8

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	60 minutes class discussion on layout
April	Nirvachitra-Film Show (only in 1st year of ELC)	45 minutes
May-June	Registration Activity	30 minutes for briefing Homework assignment
September	NOTA	30 minutes
October-November	Step Up	60 minutes
January(NVD)	Drawing & Poster Making Competition	60 minutes
Total		3 hours plus Home Assignment *(Nirvachitra time not included)*

10th ELC Guide (English Version)- See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	पत्रिका के प्रारूप पर कक्षा में 60 मिनट की चर्चा
अप्रैल	निर्वाचित्र–फिल्म प्रदर्शन (चुनावी साक्षरता क्लब के केवल पहले वर्ष में)	45 मिनट
मई-जून	पंजीकरण की गतिविधि	30 मिनट गतिविधि के बारे में
सितम्बर	नोटा (NOTA)	30 मिनट
अक्टूबर-नवम्बर	स्टेप अप	60 मिनट
जनवरी (एन.वी.डी.)	चित्र और पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे + गृह कार्य (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

10th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 8

Month	Activity	Duration
Round the Year	The Wall Magazine	
April	Nirvachitra(1st Year)	45 minutes
April	Card Game on Nomination	45 minutes
April	Model Matdan	60 minutes
July-August	Film Screening	60-120 minutes
September-November	Chunav Yantr& Build your Ballot	60 minutes
January (National Voters' Day)	Debate Contest	60 minutes
Total		5 hours *(Nirvachitra time not included)*

11th ELC Guide (English Version)- See page no. 7

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र (प्रथम वर्ष)	45 मिनट
अप्रैल	जनता के प्रतिनिधि बनें कार्ड का खेल	45 मिनट
अप्रैल	आदर्श मतदान	60 मिनट
जुलाई–अगस्त	फिल्म प्रदर्शन	60–120 मिनट
सितम्बर–नवम्बर	चुनाव यंत्र और मतपत्र का निर्माण	60 मिनट
जनवरी (राष्ट्रीय मतदाता दिवस)	वाद–विवाद प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		5 घंटे (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

11th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 7

Month	Activity	Duration
Round the Year	ELC Wall Magazine	
April	*Nirvachitra*-Film Show	45 minutes
July	*Lok Sabha* 2019 Film Screening	60 minutes
August-September	Know Your Candidate	30 min of briefing 60 minutes of presentation
October	Filling Form 6 and registering	30 minutes
November	Word Games	30 minutes
January	Essay writing Competition	60 minutes
Total		4 hours 30 minutes *(Nirvachitra time not included)*

12th ELC Guide (English Version)- See page no. 8

माह	गतिविधि	अवधि
पूरे वर्ष	चुनाव पत्रिका	
अप्रैल	निर्वाचित्र– फिल्म प्रदर्शन	45 मिनट
जुलाई	लोकसभा 2019 फिल्म प्रदर्शन	60 मिनट
अगस्त-सितम्बर	अपने उम्मीदवार को जानें	30 मिनट प्रारम्भिक चर्चा के लिए 60 मिनट प्रस्तुतीकरण के लिए
अक्टूबर	फॉर्म 6 भरना और पंजीकृत होना	30 मिनट
नवम्बर	शब्दों के खेल	30 मिनट
जनवरी	निबन्ध लेखन प्रतियोगिता	60 मिनट
कुल		4 घंटे 30 मिनट (इसमें निर्वाचित्र का समय शामिल नहीं है।)

12th ELC Guide (Hindi Version)- See page no. 8

*Please refer to ELC Resource Guide(s) for further details [Available on Election Commission of India (ECI) and Chief Electoral Officer (CEO) -Rajasthan Website as well ELC Repository on Shala Darpan and Private School Portal].

CEO - RJ SVEEP ELC UPDATED REPOSITORY LINK - https://election.rajasthan.gov.in/SVEEP_ELC.aspx

(अत्यावश्यक)

कार्यालय—निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा—माध्य/मा—स/ईएलसी (90)/2025/ दिनांक : As in E-Sign

समस्त सम्भागीय संयुक्त निदेशक,
स्कूल शिक्षा।

विषय :— ''स्कूल ईएलसी—एमओयू'' के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक : 25.08.2025 एवं संलग्नित 'एमओयू' में उल्लेखित विभागीय बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना बाबत।

प्रसंग :— संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक : एफ. 4(3)(3)स्वीप/निर्वा./स्कूल ईएलसी एमओयू/2025/3906 जयपुर, दिनांक : 25.08.2025

संदर्भ :— इस कार्यालय के पत्र दिनांक : 26.08.2020, 03.09.2020, 26.11.2020, 18.04.2023, 03.06.2023 एवं 11.03.2024

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रसंगानुसार राज्य के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक राजकीय एवं निजी विद्यालयों में स्कूल निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के सुदृढ़ीकरण एवं सफल संचालन हेतु तथा अध्ययनरत भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता का प्रभावी उद्‌बोधन किये जाने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग एवं शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में निष्पादित समझौता ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग – एमओयू) की संकल्पना के अनुरूप राजस्थान में दिनांक : 25.08.2025 को निर्वाचन विभाग तथा स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निष्पादित एमओयू की प्रति उक्त परिपत्र के साथ संलग्न 'परिशिष्ट अ' के अनुसार समस्त स्तर पर अग्रिम आवश्यक अनुपालनात्मक कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित की गयी है।

उक्त समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत, विभागीय भागीदारी/दायित्व अग्रांकितानुसार निर्धारित किये गये हैं :—

1. सभी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण चुनावी साक्षरता के लिए राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के सभी हितधारकों के बीच स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए एक संस्थागत ढांचा विकसित करना, जैसे 'प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय', आरसीएससीई, आरबीएसई, आरएससीईआरटी डीआईईटी, आरएसओएस, एसआईईएमएटी और आरएसटीबी। साथ ही नए/भविष्य के मतदाताओं के लिए चुनावी साक्षरता क्लब (ईएलसी) की स्थापना करना और विद्यार्थियों के बीच मतदाता जागरूकता प्रदान करने के लिए अन्य संरचित पाठ्यक्रम, सह—पाठ्यचर्या और पाठ्येतर गतिविधियाँ आयोजित करना, ताकि उन्हें देश की चुनावी प्रणाली से पूरी तरह परिचित कराया जा सके और उनमें मतदाता के रूप में पंजीकरण करने और हर चुनाव में भावुक, सूचित और नैतिक तरीके से भाग लेने की इच्छा पैदा की जा सके।
2. आवश्यकतानुसार, शिक्षा एवं साक्षरता विभाग औ[illegible] बेहतर समन्वय के लिए सभी हितधारक निकायों में 'ईएलसी नोडल अधिकारी' [illegible]मित [illegible]रना।
3. स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्वाचन विभाग के सहयोग से निर्धा[illegible]त्र के आधिकारिक शिविरा कैलेंडर में माहवार ई.एल.सी. [illegible] तथा निर्धारित समयावधि के भीतर उन्हें अक्षरशः एवं [illegible]क भावना के साथ [illegible]पादित करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.08.29 20:05:24 IST
Reason: Approved

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली (एनसीईआरटी) द्वारा विकसित राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे (एनसीएफ) के अनुसार राज्य के सभी स्कूलों हेतु विभिन्न मानकों के लिए उपयुक्त क्रेडिट और घंटों की सीमा तक कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता को व्यवस्थित तरीके से एकीकृत करना।
5. भावी मतदाताओं की पहचान कर, उन्हें स्कूलों में उनके प्रथम मतदान के लिए तैयार करने हेतु चुनावी साक्षरता को शामिल करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की पाठ्यपुस्तकों को एनसीईआरटी की सलाह के अनुसार या संशोधित करके प्रस्तुत/अद्यतित करना, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोकाचार को प्रारम्भिक अवस्था में ही उनमें समाहित करना तथा राज्य की शैक्षणिक आवश्यकता और प्रभावशीलता के अनुसार इन पुस्तकों में चुनावी साक्षरता की विषय–वस्तु को प्रासंगिक बनाना।
6. निर्वाचन साक्षरता विषय–वस्तु विकसित करना तथा उसे 'आरएसओएस' के अंतर्गत माध्यमिक कक्षाओं में नामांकित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल करना तथा उनके समग्र विकास के लिए शिक्षा के एक एकीकृत घटक के रूप में निर्वाचन साक्षरता के संदर्भ में आजीवन शिक्षा सुनिश्चित करना।
7. विद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता अनुकूल वातावरण का निर्माण करना, जैसे ई.एल.सी. लोगो (Logo) और मतदान की शपथ (हिंदी/अंग्रेजी) का प्रदर्शन, लोकतंत्र दीवार की स्थापना, पुस्तकालय में मतदाता शिक्षा निर्वाचन वाचन कोना, 'मतदान के अधिकार' के संदर्भ में नारे का प्रदर्शन, जैसा कि भारत निर्वाचन विभाग या राज्य निर्वाचन विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, ताकि नामांकित विद्यार्थियों, विशेषकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सी. डब्ल्यू.एस.एन.) को जागरूक मतदाता बनने का अवसर मिल सके।
8. प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक कमरे (उपलब्धतानुसार) को 'लोकतंत्र कक्ष' के रूप में निर्मित किया जाए, ताकि नियमित रूप से स्वीप सामग्री प्रदर्शित की जा सके और वर्ष पर्यन्त सीईडीई गतिविधियां आयोजित की जा सके।
9. निर्वाचन विभाग के परामर्श से तैयार की गई निर्वाचन साक्षरता संचार सामग्री को स्कूली छात्र–छात्राओं के लिए उपयुक्त विभिन्न मीडिया माध्यमों से प्रसारित करना तथा सभी की आसान पहुंच के लिए ई.एल.सी. रिपोजिटरी को ऑनलाइन उपलब्ध कराना।
10. राज्य के सभी सरकारी और निजी माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 'निर्वाचन साक्षरता क्लब – कार्यकारी समितियां (ईएलसी–ईसी)' गठित करना तथा, 'सत्र के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ईएलसी' (राज्य द्वारा जारी सभी निर्धारित निर्देशों का अनुपालन करना और सही अर्थों में चुनावी साक्षरता प्रदान करना) को ब्लॉक स्तर पर और क्रमशः जिला स्तर पर चुनाव विभाग के सहयोग से 'मॉडल/लीड ईएलसी' (अधिकार क्षेत्र में सरकारी और निजी स्कूलों के लिए अलग–अलग) के रूप में पहचानना।
11. विद्यालयों में प्रभावी रूप से चुनावी साक्षरता प्रदान करने के लिए अपेक्षित संसाधन उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला/ब्लॉक/क्लस्टर स्तर के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर आवश्यक सहायता भी उपलब्ध कराना।
12. कक्षाओं में प्रभावी ढंग से चुनावी साक्षरता प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित करना। (विशेष रूप से आधुनिक शिक्षण पद्धति अर्थात सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के डिजिटल उपयोग के माध्यम से।)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.08.29 20:05:24 IST
Reason: Approved

13. ईएलसी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से आयोजित/निष्पादित करने के लिए नामित ईएलसी नोडल अधिकारियों, ईएलसी नोडल शिक्षकों/प्रमुखों के साथ–साथ संस्थान के प्रमुखों का ऑनलाइन/ऑफलाइन/मिश्रित प्रशिक्षण आयोजित करना और ईएलसी गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए स्कूलों में ईएलसी–ईसी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए चुनाव/नामांकन सुनिश्चित करना।
14. शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में मुख्यधारा की मतदाता शिक्षा सामग्री और शिक्षक प्रशिक्षण के साथ–साथ पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों में मतदाता शिक्षा और चुनावी साक्षरता, चाहे ऑनलाइन मोड में हो या व्यक्तिगत रूप से।
15. स्कूलो में समयबद्ध अभियान और सहभागिता गतिविधियो का आयोजन करना, छात्र–छात्राओं को मतदान करने की शपथ दिलाना, मॉक पोल आयोजित करना, ईवीएम–वीवीपीएटी प्रदर्शन, ईसीआई मोबाइल ऐप के बारे में जानकारी देना, चुनावी शिक्षा और आउटरीच के लिए प्रतियोगिताएं आयोजित करना।
16. समाज में व्यापक चुनावी जागरूकता के लिए ई.एल.सी. गतिविधियों को फोटो, रील, लघु वीडियो के रूप में सोशल मीडिया पर साझा करना तथा भविष्य में संदर्भ के लिए ई.एल.सी. मीडिया को संग्रहित करना।
17. डेटा गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में 17 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त करने वाले पात्र और भावी विद्यार्थियों के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए प्रत्येक अर्हक तिथि (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर) के बाद और मतदाता सूची के वार्षिक सारांश संशोधन (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष की अंतिम तिमाही में) के दौरान ईसीआई के मतदाता पंजीकरण पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करने के लिए पात्र और भावी छात्र–छात्राओं के ऑनलाइन मतदाता पंजीकरण की सुविधा के लिए शाला दर्पण और निजी स्कूल पोर्टल पर उपलब्ध यूडीआईएसई (शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली) और अन्य डेटाबेस का उपयोग करने के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करना। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के तुरंत बाद राज्य के प्रत्येक विद्यार्थी को मतदाता पहचान पत्र सौंपने के ईसीआई के आकांक्षात्मक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत तंत्र विकसित करना।
18. राष्ट्रीय मतदाता दिवस (25 जनवरी) के अवसर पर प्रतिवर्ष सघन स्वीप–ईएलसी गतिविधियां/पूर्व एनवीडी गतिविधियां आयोजित करना तथा चुनाव के समय विद्य ार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाना।
19. सभी विद्यालयों में चुनावी साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम शुरू करना तथा राज्य, जिला, ब्लॉक, क्लस्टर स्तर पर आयोजित चुनावी साक्षरता कार्यक्रम की नियमित निगरानी करना, ताकि इसके उद्देश्य पूरे हो सके अर्थात विद्यार्थियों में उनके प्रारंभिक दिनों से ही नैतिक मतदान की आदतों को विकसित करना, युवा मस्तिष्क में स्वतंत्र, प्रलोभन–मुक्त नैतिक चुनाव सुनिश्चित करना तथा सहयोग का गैर–राजनीतिक और गैर–पक्षपातपूर्ण चरित्र सुनिश्चित करना।
20. चुनाव के दौरान मतदान केन्द्र के रूप में उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक विद्यालयी भवन तक पहुंच सुनिश्चित करना। इसके लिए मानक रैम्प, पर्याप्त संख्या में पृथक पुरुष एवं महिला शौचालयों तथा सुलभ शौचालयो और शुद्ध पर्याप्त पानी, उचित/पर्याप्त प्रकाश/बिजली इत्यादि आधारभूत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.08.29 20:05:24 IST
Reason: Approved

21. आरबीएसई, सीबीएसई और आईसीएसई से संबद्ध प्रत्येक स्कूल में और साथ ही आरएसओएस में नामांकित छात्र–छात्राओं के लिए इस समझौता ज्ञापन के प्रावधानों को लागू करना, इसे उनके संबंधित अधिकारियों और कार्मियों के नियमित कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाना और सभी हितधारकों को इसे अपने संबंधित अधिकारियों और कार्मियों के नियमित कामकाज का एक अभिन्न अंग बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करना।
22. राज्य में ई.एल.सी. को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/क्षेत्र स्तर पर प्रभावी निगरानी करना तथा एस.वी.ई.एल.सी.एस. (विद्यालय) के संदर्भ में निर्धारित/सौंपे गए सभी कार्यों को आपसी समझ और सहयोग से पूरा करना। प्रासंगिक एवं अद्यतन वास्तविक समय सूचना साझा करना तथा आवश्यकतानुसार अपेक्षित सहायता प्रदान करना।
23. समझौता ज्ञापन के तहत की गई कार्यवाही और सीखे गए सबक की रिपोर्ट/दस्तावेज तैयार करना तथा सफलता की कहानियों का उचित ढंग से प्रसार करना।
24. इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन की छमाही आधार पर या राज्य स्तर पर पारस्परिक रूप से तय की गई अन्य छोटी अवधियों पर समीक्षा करना।

अतः उक्त क्रम में प्रासंगिक परिपत्रानुसार वांछित कार्यवाही एवं प्रदत्त निर्देशों की पालना में लेख है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक : 26.08.2020, 03.09.2020 एवं 26.11.2020 (प्रत्येक माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में ईएलसी गठन से सम्बन्धित वांछित दिशा–निर्देश) एवं सन्दर्भित पत्र दिनांक : 18.04.2023, 03.06.2023 एवं 11.03.2024 (मतदाता शिक्षा एवं स्वीप कार्यक्रम बाबत जिला स्तरीय विभागीय नोड्ल अधिकारियों की नियुक्ति एवं उक्त सम्बन्ध में वांछित दिशा–निर्देश) की प्रतियां संलग्न प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ''स्कूल ईएलसी–एमओयू'' के सम्बन्ध में प्राप्त प्रासंगिक परिपत्र दिनांक : 25.08.2025 एवं उक्त के संलग्नित 'एमओयू' में उल्लेखित स्कूल शिक्षा विभाग के बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना के सम्बन्ध में आप अपने क्षेत्राधिकार में वांछित दिशा–निर्देश जारी करवाते हुए, प्रदत्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करावें।

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्न : यथोक्त।

(सीताराम जाट)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, निर्वाचन विभाग–राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर [illegible] के प्रासंगिक परिपत्र के क्रम में।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–5) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में। (जरिये ई–मेल)
5. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। (जरिये ई–मेल)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.08.29 20:05:24 IST
Reason: Approved

6. **सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर/निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, उदयपुर** को प्रासंगिक परिपत्र में उल्लेखित विभागीय बिन्दु संख्या– 04, 05 एवं 06 की पालना हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत। (जरिये ई–मेल)
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करवाये जाने बाबत। (जरिये ई–मेल)
8. निजी सचिव/निजी सहायक/स्टाफ ऑफिसर, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
9. **सहायक निदेशक, माध्यमिक अनुभाग, कार्यालय हाजा** को प्रासंगिक परिपत्र में उल्लेखित विभागीय बिन्दु संख्या– 03 की पालना हेतु आगामी आवश्यक कार्यवाही बाबत। (जरिये ई–मेल)
10. **सहायक निदेशक, पीएसपी अनुभाग, कार्यालय हाजा** को प्रासंगिक परिपत्र में उल्लेखित विभागीय बिन्दुओं की पालना, निजी विद्यालयों में सुनिश्चित करवाये जाने बाबत। (जरिये ई–मेल)
11. **समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा/नोडल अधिकारी मतदाता शिक्षा एवं स्वीप कार्यक्रम** को जिला क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन बाबत। (जरिये ई–मेल)
12. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर। (जरिये ई–मेल)
13. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर/सादुल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर। (जरिये ई–मेल)
14. मेनेजर, गुरूनानक भवन संस्थान, जयपुर। (जरिये ई–मेल)
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–**माध्यमिक/प्रारम्भिक** को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)
16. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा को पालनार्थ। (जरिये ई–मेल)
17. रक्षित पत्रावली।

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर एवं पदेन
अति. राज्य परि. निदेशक (वरिष्ठ)
समग्र शिक्षा अभियान (समसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sita Ram Jat
Designation : Director
Date: 2025.08.29 20:05:24 IST
Reason: Approved

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मा–स/ईएलसी (90)/2025/ दिनांक : As in E-Sign

वरिष्ठ शासन उप सचिव,
शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग,
जयपुर।

विषय : राज्य के समस्त राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत् भावी मतदाताओं में निर्वाचन साक्षरता एवं मतदाता जागरूकता हेतु संयुक्त रूप से किये गये एमओयू की प्रभावी पालना के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक : F.17(1)Edu-1/General/2019-01061 दिनांक : 01.09.2025 (राजकाज रेफ्रेन्स आईडी नं0– 17479699)

सन्दर्भ :–
1. संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान, जयपुर का परिपत्र क्रमांक : एफ.4(3)(3)स्वीप/निर्वा./स्कूल ईएलसी एमओयू/2025/3906 जयपुर, दिनांक : 25.08.2025
2. इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक : 29.08.2025 (राजकाज रेफ्रेन्स आईडी नं0– 17457314)

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि पूर्व में प्राप्त निर्वाचन विभाग, जयपुर के सन्दर्भित परिपत्र दिनांक : 25.08.2025 की पालना में इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र दिनांक : 29.08.2025 द्वारा ''स्कूल ईएलसी–एमओयू'' के सम्बन्ध में जारी परिपत्र दिनांक : 25.08.2025 एवं उक्त के संलग्नित ''एमओयू'' में उल्लेखित विभागीय बिन्दुओं/निर्देशों की अक्षरशः पालना बाबत वांछित दिशा–निर्देश समस्त विभागीय अधीनस्थों हेतु जारी किये जा चुके हैं, जिसकी छायांप्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(डॉ0 राम गोपाल शर्मा)
जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं नवाचार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–
1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, जयपुर।
2. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
गुणवत्ता एवं नवाचार
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Gopal Sharma
Designation : District Education Officer
Date: 2025.09.04 16:37:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 17569078